

SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No... 280/17...

Complaint or report made on

Name and address of the Complainant... श्री. अ. गुप्ता

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग
गोहाद जिला

27-8-2017

Name, parentage, caste and address of accused

① मोहन S/O माधवलाल पाव 34 वर्ष R/O गोहाद

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आप पर आरोप है कि दिनांक 10-10-17 मुकाम

आदिवासी माहेकेला गाँव मोहाद पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने
आधिपत्य में 28 लीटर/पाव/बोतल 28 शराब विक्रय/परिवहन हेतु रखी।

ऐसा करके आपने आवकारी अधि 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय
अपराध कारिल किया।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है। यूँ दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।

श्री. अ. गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग
गोहाद जिला

श्री. अ. गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग
गोहाद जिला

// निर्णय //

(आज दिनांक १-११-१७ को घोषित)


01. अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि० १९१५ की धारा ३४-१ (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।

02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० १९१५ की धारा ३४-१ (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।

03. अभियुक्त को आबकारी अधि० १९१५ की धारा ३४-१ (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अवधि तक की संज्ञा एवं रुपये १०० शब्दों में २००६५८३० रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर ०७ का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।

04. जप्तशुदा सम्पत्ति २८ लीटर/पाव/बोतल देशी शराब मूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार

जप्त की जावे। अपील न होने पर मान० अपील न्यायालय के आदेश का


महेश्वरी गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम
महेश्वरी गुप्ता